[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

सं. 2/2017- सेवा कर

नई दिल्ली, दिनांक 12 जनवरी, 2017

सा.का.नि. (अ),- वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 94 की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार सेवा कर नियमावली, 1994 में निम्नलिखित और आगे भी संशोधन करती है, यथा :-

1. (1) इन नियमों को सेवा कर (संशोधन) नियमावली, 2017 कहा जाएगा।

   (2) ये नियम 22 जनवरी, 2017 से लागू होंगे।

2. सेवाकर नियमावली, 1994, नियम 2 में, उप-नियम (1) में,-

   (i) उपवाक्य (कक), में निम्नलिखित परंतुक को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा :-

   "बशर्ते कि, एग्रीगेटर में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आएगा जो कि किसी सक्षम ग्राहक को ऐसे व्यक्तियों से जोड़ता है जो कि होटल, इन्स, गेस्ट हाउस, क्लब्स, कैम्पसाइट्स या अन्य वाणिज्यिक स्थान जिनका उपयोग आवासीय या लॉजिंग के लिए होता हो, को निम्नलिखित शर्तों के तहत किराए पर देकर सेवा प्रदान करता हो, यथा :-

   (क) आवासीय या लॉजिंग के उपयोग के लिए होटल, इन्स, गेस्ट हाउस, क्लब्स, कैम्पसाइट्स या अन्य वाणिज्यिक स्थान, को किराए पर देकर सेवा प्रदान करने वाला व्यक्ति जिसने इस नियमावली के प्रावधान के अंतर्गत सेवाकर पंजीकरण प्राप्त कर लिया है; और

(ख) ऐसे सेवा प्रदाता द्वारा सेवा कर सम्पूर्ण प्रतिफल सीधे प्राप्त कर लिया जाता है और कुछ भी राशि जो कि ऐसे सेवा प्रदाता की सेवा के प्रतिफल का हिस्सा हो, एग्रीगेटर या तो सेवा प्राप्तकर्ता से या उसके प्रतिनिधि से प्राप्त करता है'';

(ii) उपवाक्य (घ) में, उप-उपवाक्य (i) में, मद ड.ड.ख के पश्चात, निम्नलिखित मद को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा :-

''(ड.ड.ग) ऐसी सेवाओं के संबंध में जो कि गैर-कर वाले भू-क्षेत्र में रहने वाले किसी व्यक्ति के द्वारा गैर-कर वाले भू-क्षेत्र में स्थित ऐसे व्यक्ति को भारत के बाहर स्थित किसी स्थान से भारत में स्थित कस्टम क्लियरेंस स्टेशन तक जहाज के द्वारा माल का परिवहन करके दी जाती हैं या दिए जाने का वचन दिया जाता है; भारत में रहने वाला व्यक्ति जो सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 148 के साथ पठित धारा 29, 30 या 38 के अंतर्गत उक्त वस्तुओं से संबंधित प्रावधानों को पूरा करता है;"

[फा.सं 354/42/2016-टीआरयू]

(अनुराग सहगल)
अवर सचिव, भारत सरकार

नोट :- प्रधान नियमावली को अधिसूचना सं. 02/94-सेवा कर, दिनांक 28 जून, 1994, सा.का.नि. 546 (अ), दिनांक 28 जून, 1994 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 53/2016-सेवा कर, दिनांक 19 दिसम्बर, 2016, सा.का.नि. 1155 (अ), दिनांक 19 दिसम्बर, 2016 के द्वारा संशोधन किया गया है।